

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 1.4.22

आज्ञा:-

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	श्री जितेन्द्र कुमार बैरड़ कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, परियोजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर	1. राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु। 2. राजस्थान जिला जज केडर सीधी भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु। 3. संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सी. बी.आई. में अभियोजन अधिकारी के साक्षात्कार हेतु।
2.	कविता चारण कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग प्रथम, जोधपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।
3.	निमिता शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।
4.	निशान्त राठौड़ कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय जिला कलक्टर, बारां	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।
5.	शिल्पा भट्ट कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्व उपनिवेशन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव